**दिल्ली की कुछ कालोनियों में बिजली की चोरी**

3471. **श्री चतुरानन मिश्र:** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संगम विहार और टिगरी नई दिल्ली-62 में बिजली की चोरी के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

**विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):** (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को संगम विहार तथा टिगरी, दिल्ली-62 में बिजली की चोरी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने व्यापक रूप से छापे मारे हैं तथा झुग्गी झोंपड़ी वासियों तथा अप्राधिकृत संगम विहार कालोनी के निवासियों द्वारा लिए हुए अप्राधिकृत कनेक्शनों / गैर-कानूनी रूप से सीधी तार डालकर लिए हुए कनेक्शनों को हटा दिया गया है।

**सब-मीटर लगाने के लिए विकास प्रभार**

3472. **श्री चतुरानन मिश्र: क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता को अपने परिसर में सब-मीटर लगाने के लिए विकास प्रभार देना होता है यद्यपि इस परभार का भुगतान पहला मीटर लगाने के समय ही कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो एक ही परिसर में सब-मीटर लगाने के लिए दो बार विकास प्रभार लेने का क्या औचित्य है?

**विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):** (क) और (ख) मीटर / उप-मीटर प्रतिष्ठापन के लिए विकास प्रभार, अगर कोई है, का विनियमन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। यह बोर्ड विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकाय हैं। जहां तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) का संबंध है, इस संस्थान द्वारा कोई भी उप-मीटर प्रतिष्ठापित नहीं किया जाता है। सामान्यतः एक बिजली का कनेक्शन देने के लिए डेसू द्वारा परिसर के कुल प्लाट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए केवल एक बार विकास प्रभारों की वसूली की जाती है। तथापि, अगर यह पाया जाता है कि कुल प्लाट क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए विकास प्रभारों की पूरी अदायगी नहीं की गई हो तो ऐसे मामले में कम प्रदत्त राशि की वसूली बाद मे कर ली जाती है।

**दिल्ली में दुकानों के लिए बिजली के नए कनेक्शन**

3473. **श्री चतुरानन मिश्र:** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दुकानों के लिए बिजली के नए कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो बिजली के नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दुकानदारों को कौनसी शर्तें पूरी करनी होती हैं?

**विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):** (क) और (ख) दिल्ली विद्युत नियंत्रण आदेश, 1959, सप्लाई संबंधी शर्तों तथा अन्य नियमों एवं विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के प्रावधानों के अधीन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दुकानों आदि के लिए नए बिजली के कनेक्शन मुहैया कराए जाते हैं। इस संबंध में अपेक्षित औपचारिकताएं जिनकी पूर्ति की जानी अपेक्षित होती है इनमें अन्य बातों के साथ-साथ परिसर में वैध आवास संबंधी प्रमाण, स्वीकृत भवन योजना अथवा दिल्ली नगर निगम / दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा दिल्ली नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस, यदि भवन में लिफ्ट की व्यवस्था है अथवा 4 मंजिलों से अधिक मंजिलें हैं तो संबंधित स्थानीय निकाय से निर्माण पूर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना शामिल हैं। अनुमोदित तथा विद्युतीकृत वाणिज्यिक क्षेत्रों में सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरा किए जाने पर भूमि समुपयोजन से संबंधित कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं।

**Capacity of BHEL to manufacture power equipments**

3474. SHRI P. UPENDRA:
SHRI AJIT P.K. JOGI:
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether the BHEL has enough capacity to manufacture power equipment needed by the country;

(b) whether Government have taken a decision to stop import of power